संख्या-15/9/99-का-4-2004

प्रेषक,

प्रदीप शुक्ला,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवामें,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग-4, लखनऊ : दिनांक : जनवरी- 7 ,2004

विषय:- लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को प्रेषित किये गये अधियाचनों की समीक्षा किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

शासनादेश संख्या-20/1/91-का-2-2003, दिनांक 14 अक्टूबर, 2003, समसंख्यक शासनादेश दिनांक 30 अक्टूबर, 2003 एवं दिनांक 17 नवम्बर, 2003 के क्रम में शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों से आपको पुन: अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है:-

(1) विशेष चयन से संबंधित लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को प्रेषित किये गये अधियाचनों की पुन: समीक्षा करते हुए, पदों को भरे जाने की अपरिहार्यता/ औचित्य पाये जाने पर, वित्त विभाग / कार्मिक विभाग का परामर्श प्राप्त कर, मा0 विभागीय मंत्री एवं मा0 मुख्य मंत्री जी का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को चयन कार्यवाही प्रारम्भ करने की सूचना दे दी जाय ।

(2) समीक्षा के उपरान्त यदि पूर्व प्रेषित अधियाचनों के आधार पर चयन नहीं कराये जाने का निर्णय लिया जाता है, तो भी मा0 विभागीय मंत्री जी के अनुमोदन से पूर्व प्रेषित अधियाचन को निरस्त करने की सूचना लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर दी जाय ।

(3) विभागीय चयन समितियों द्वारा किये जाने वाले चयनों में भी समीक्षा के उपरान्त ही चयन की कार्यवाही की जाय ।

2. उपर्युक्तानुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण करते हुए, उसकी सूचना विलम्बतम दिनांक 15 जनवरी, 2004 तक लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश एवं कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

8/1/04

( प्रदीप शुक्ला )
सचिव ।

संख्या-15/9/99॥-का-4-2004, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

आज्ञा से,

॥ मुइयोंदीन ॥
विशेष सचिव ।